E, NWF, NF, TF, SF FAX NO. : FTRS 2 Aug. 2010 6:31

सं0– 11–36012 / एक्स–ग्रेशिया / अनुदेश / 2006–10 – 2337

महानिदेशालय ,भा0ति0सी0पु0 बल
(गृह मंत्रालय ,भारत सरकार) ,
खण्ड–02 ,केन्द्रीय कार्यालय परिसर
लोदी रोड , नई दिल्ली –03

दिनांक 29.07.2010

परिपत्र

महानिदेशालय,भा0ति0सी0पु0 के बेतार संदेश सं0– 6579 दि0–09.06.03, परिपत्र सं0– 145 दि0.23.01.07 एवं बेतार संदेश सं0. 4641 दि0.10.09.09 का अवलोकन करें , जो कि एक्स–ग्रेशिया मामलों को अविलम्ब प्रेषित करने के विषय में है ।

1. इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि महानिदेशालय द्वारा समय –समय पर जारी आदेशों / दिशा –निर्देशों के बावजूद भी एक्स–ग्रेशिया जैसे कल्याणकारी एवं संवेदनशील मामलों को सही समय पर न भेज कर अत्यधिक विलम्ब से भेजे जाने के मामले महानिदेशालय के संज्ञान में आ रहे हैं , जिससे कि स्थापनाओं की जिम्मेदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है । संकट के समय प्रभावित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध न हो पाने से आर्थिक परेशानी के साथ–साथ उनके मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है ।

2. स्थापनाओं द्वारा अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia)मामलों को विलम्ब से प्रेषित करने पर महानिदेशक महोदय द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है तथा स्थापनाओं द्वारा बरती गई शिथिलता एवं घोर लापरवाही के लिए आपत्ति व अप्रसन्नता व्यक्त की गई है ।

3. एक्स–ग्रेशिया स्वीकृति हेतु मामलों को प्रेषित करते समय निम्नलिखित मार्ग दर्शक बिन्दुओं को ध्यान में रखकर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाये ।

(क) न्यायिक जॉच निश्चित रूप से 20 दिनों के अन्दर पूर्ण हो जानी चाहिए ।

(ख) निर्धारित प्रारूप में प्रकरण ठीक प्रकार से तैयार करके मृत्यु प्रमाण–पत्र , पुलिस प्राथमिकी ,पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट ,न्यायिक जॉच की प्रति , महानिरीक्षक एवं उप–महानिरीक्षक की संस्तुति सहित मृत्यु के 30 दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) प्रकरण के साथ लगे दस्तावेज सुपाठय हों तथा पुलिस प्राथमिकी यदि हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में हो तो उसका हिन्दी / अंग्रेजी अनुवाद करके अवश्य भेजा जाए ।

(घ) उच्चतुंगता (High Altitude) क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मृत्यु के मामलों में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि " कर्मी की मृत्यु डयूटी के दौरान उच्चतुंगता एवं दुर्गम क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण हुई है " । उदाहरण के तौर पर एक मामले में पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हृदय गति रुक जाना बताया गया है परन्तु यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हृदय गति रूकने का कारण क्या था । हृदय गति रूकने से मृत्यु होना प्राकृतिक मृत्यु माना जाता है, ऐसे केस में अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं बनती ,परन्तु यदि हृदय गति के रूकने का कारण निरन्तर हाईएल्टीटयूड में तैनाती है , तो 15 लाख रूपये अनुग्रह राशि की पात्रता बन जाती है । इस प्रकार वाहिनी की तनिक सी लापरवाही से मृतक का परिवार 15 लाख रूपये अनुग्रह राशि प्राप्त करने से वंचित रह जाता है क्योंकि यदि मृत्यु हाईएल्टीटयूड क्षेत्र की तैनाती में हुई है तो उसे स्पष्ट नही दिखाया जाता और ऐसे मामले सकारात्मक कार्रवाई हेतु बार–बार सुधार के लिए वापस भेजने पडते है , जिससे अनावश्यक देरी होती है ।

4. अतः पुनः समस्त स्थापनाओं को निर्देशित एवं सचेत किया जाता है कि भविष्य में अनुग्रह अनुदान के मामलों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा विलम्ब के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित करके उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करें ।

27/7/10
(के0बी0 सिंह)
महानिरीक्षक(प्रशा0 / कार्मिक)

वितरण :–

1. समस्त महानिरीक्षक(परिक्षेत्रीय मुख्या0) ,भा0ति0सी0पु0 बल ।
2. समस्त उप–महानिरीक्षक(क्षे0मु0) ,भा0ति0सी0पु0 ।
3. उप महानिरीक्षक(प्रशा0),महानिदेशालय ,भा0ति0सी0पु0 ।
4. समस्त सेनानी भा0ति0सी0पु0 / विशेषज्ञ वाहिनी आधार चिकित्सालय , भा0ति0सी0पु0 ।
5. मुख्य प्रशा0 अधि0 ,के0अ0का0 ,भा0ति0सी0पु0 ।

Scanned by CamScanner